

11
3

61 21
12/11/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.-----of 2014.

Sunaina Kumari -----Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others-----Respondents.

Sub:- *Selection, Non Gazatted.*

INDEX.

Sl.No.Particulars. **Pages.**

1.Petition with Affidavit.

1 to 13.

2. Annexure-1, 1/A and 1/B: Copies of Sanchika
No.ICDS/ 30020/ 01/ 2011/2897/dated
10.06.2013 resolution dated 25.6.2014
and appointment letter dated 3.7.2014.

14-27

3. Annexure-2: Copies of representations.

28-37

4. VAKALATNANA:

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.-----of 2014.

Sunaina Kumari -----Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others-----Respondents.

SYNOPSIS.

RELIEFS: The present writ application is being filed for challenging the vires of amended Clause 4.9 of the Anganbari Supervisor/ Sevika/ Sahayika Selection guidelines issued by the Bihar Govt. I.C.D.S., Directorate, Bihar, (Social Welfare Department) vide Sanchika No.ICDS/30020/01/2011/2897/dated 10.06.2013 as this clause has been substituted the old clause by inserting the word "Bhabhi" define in as the wife of elder brother as well as younger brother though in the earlier clause only the word "Bhaujai" was mentioned which dealt with the wife of elder brother not younger brother, as it deprives the eligible candidates on a unreasonable ground from being appointed as Anganbari Sevika/Sahaika, and for direction to the respondents to select/ appoint the petitioner on the post of Anganbari Sevika in Ward No.11 Haripur Kala Gram Panchayat, Block- Murliganj within the District of Madhepura after quashing the resolution dated 25.06.2014 passed by the Selection Committee by which respondent No.7 has been

selected/ appointed vide Memo No.142 dated 3.7.2014 by not considering the name of the petitioner on the ground of replaced Clause 4.9 though petitioner was most suitable and eligible candidate and/or any other relief/ reliefs for which petitioner is found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

RELEVANT DATES:

25.06.2014: The petitioner being the resident of Haripur village applied for selection of Anganbari Sevika for Additional Anganbari Centre Ward No.11 situated at village within Haripur Kala Gram Panchayat in prescribed manner within time. Apart from the petitioner other three candidates also applied for the same post including private respondent No.7. After due advertisement and application the meeting for selection of Sevika was held by the general body on 25.06.2014 in accordance with guidelines, in which respondent No.7 has been selected in arbitrary manner ignoring the eligibility of the petitioner, although respondent No.7 is not suitable candidate for Angan Bari Sevika.

Hence this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.-----of 2014.

In the matter of an application
Under Article 226 of the
Constitution of India.

And

In the matter of:-

Sunaina Kumari w/o Shambhu Prasad Sah, resident of village- Haripur,
Tinkonma, P.O. Haripur Kala, Police Station-Murliganj, District-
Madhepura.

-----*Petitioner.*

Versus

1. The State of Bihar .

2. The Principal Secretary, Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Director, I.C.D.S., Social Welfare Department, Govt. of Bihar, Patna.
4. The District Magistrate, Madhepura, District- Madhepura.
5. The District Programme Officer, Madhepura, District-Madhepura.
6. The Gram Panchayat Haripur Kala, through its Secretary, Police Station-Murliganj, District-Madhepura.
7. Phool Kumari, w/o Chandan Thakur, resident of village- Haripur, P.O. Haripur Kala, Police Station-Murliganj, District-Madhepura.

-----*Respondents.*

To,

The Hon'ble Ms.Justice Rekha M.Doshit, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of
the petitioner named above.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That the present writ application is being filed for challenging the vires of amended Clause 4.9 of the Anganbari Supervisor/ Sevika/ Sahayika Selection guidelines issued by the Bihar Govt. I.C.D.S., Directorate, Bihar, (Social Welfare Department) vide Sanchika No.ICDS/30020/01/2011/2897/dated 10.06.2013 as this clause has been substituted the old clause by inserting the word "Bhabhi" define in as the wife of elder brother as well as younger brother though in the earlier clause only the word "Bhaujai" was mentioned which dealt with the wife of elder brother not younger brother, as it deprives the eligible candidates on an unreasonable ground from being appointed as Anganbari Sevika/Sahaika, and for direction to the respondents to select/ appoint the petitioner on the post of Anganbari Sevika in Ward No.11 Haripur Kala Gram Panchayat, Block- Murliganj within the District of Madhepura after quashing the resolution dated 25.06.2014 passed by the

Selection Committee by which respondent No.7 has been selected/ appointed vide Memo No.142 dated 3.7.2014 by not considering the name of the petitioner on the ground of replaced Clause 4.9 though petitioner was most suitable and eligible candidate and/or any other relief/ reliefs for which petitioner is found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

Copies of Sanchika No.ICDS/ 30020/ 01/ 2011/2897/dated 10.06.2013 resolution dated 25.6.2014 and appointment letter dated 3.7.2014 are annexed herewith and marked as Annexure-1, 1/A and 1/B to this writ petition.

2. That following substantial questions of law are involved in the present writ application:-
 - I. Whether respondents are justified and right to not to select the petitioner for the post of Anganbari Sevika despite requisite qualification?

- II. Whether the respondents have acted in arbitrary manner by not considering the case of the petitioner?
 - III. Whether legal and fundamental rights of the petitioner can be violated by the respondents in violation of the rule and regulation framed by the Government in this regard?
 - IV. Whether respondents have acted in arbitrary manner by not deciding the claim of the petitioner as she filed representation for the same?
 - V. Whether clause 4.9 substituting the old clause is valid, legal and in accordance with the constitutional right of the petitioner as it deprives the petitioner from getting a job on a ground which is illegal?
 - VI. Whether the petitioner can be deprived from her legal and fundamental right as laid down under the constitution of India?
3. That petitioner is a citizen of India and resides within the jurisdiction of this Hon'ble Court. She belongs to the OBC category.

4. That the Government of Bihar Ministry of Social Welfare created an I.C.D.S. directorate for the Welfare of mother and child and for this decided to appoint Anganbari Sevika and Sahayika for the welfare of the society. The guidelines for the appointment of Sevika and Sahayika was also framed. This was a project for accomplishing a purpose. A purpose to create a healthy society and that can only be done if mother and child is healthy.
5. That petitioner being the resident of Haripur village applied for selection of Anganbari Sevika for Additional Anganbari Centre Ward No.11 situated at village within Haripur Kala Gram Panchayat in prescribed manner within time. Apart from the petitioner other three candidates also applied for the same post including private respondent No.7.
6. That it is submitted by the petitioner that after due advertisement and application the meeting for selection of Sevika was held by the general body on 25.06.2014 in accordance with guidelines, in which respondent No.7 has been selected in arbitrary manner ignoring the eligibility of the petitioner,

although respondent No.7 is not suitable candidate for Angan Bari Sevika.

7. That, it is relevant to state that from perusal of the minutes of the meeting, it is clear that the claim of the petitioner was rejected by the Selection Committee only on the ground that her Bhainsur (elder brother of her husband) is a Govt. Teacher in Chausa Prakhanda of Madhepura District. Therefore she is not eligible in accordance with the sub-clause 4.9 of Clause 4 of modified Sevika/ Sahayika Selection Guidelines 2011 of I.C.D.S. vide letter no.2897 dated 10.6.2013 (as contained in Annexure-1).
8. That it is submitted by the petitioner that the ambit of "Bhabhi" has been widened on a flimsy ground as the brothers may be related to each other but may not be living in jointness together or dependent on each other.

9. That it is further submitted by the petitioner that in the instant case the brothers have separate identity living separately and as such they can not be co-related to each other to debar a suitable candidate i.e. the petitioner from getting the job.
10. That it is submitted by the petitioner that under the constitution of India a right is accrued with regard to the opportunity to get a service/ job on being eligible but by amending the old provision this right of the petitioner has been infringed.
11. That it is submitted by the petitioner that Clause 4.9 is ultravirus and violative of Articles 13, 14, 16 and 23 of the Constitution of India, and on the said illegal clause the State as an employer is acting contrary to the said principles.
12. That it is submitted by the petitioner that the amended clause 4.9 of the Anganbari Supervisor/ Sevika/ Sahayika Selection Guidelines of I.C.D.S. Directorate, Bihar is misconceived, arbitrary and violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India read with Article 23 of the Constitution.

13. That it is submitted that the petitioner has filed several representations alongwith documents before the concerned authorities for redressal of her grievances with a prayer to select her on the post of Anganbari Sevika in place of respondent no.7 but nothing has been done by the respondents.

Copies of representations are annexed herewith and marked as Annexure- 2 to this writ application.

14. That it is submitted by the petitioner that her Bhainsur (elder brother of her husband) himself has accepted that he is living separately since long i.e. about 25-30 years and other local people representatives have also certified this fact that the petitioner and her Bhainsur are living separately. Therefore, the candidature of the petitioner can not be denied and her right to job can not be taken away in the manner it has been done.

15. That it is submitted by the petitioner that the amended Clause 4.9 is violative of Article 21 of the Constitution of India

which guaranteed right to work and earn livelihood to a citizen of the country and also particularly the duty of the Government to not to deny the eligible people jobs which are the sources of their income to maintain their livelihood, hence it is violative of provision of Article 4 of the Constitution of India as it infringes petitioner's right to earn livelihood.

16. That it is submitted by the petitioner that the amended clause is nothing but discrimination without legal nexus and hence, the same is violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India.
17. That it is submitted by the petitioner that in the facts and circumstances the selection of respondent No.6 is fit to be quashed after setting aside the amended clause and a direction can be given to select the petitioner on the post in question.
18. That in view of the aforesaid facts, it is expedient in the interest of justice that petitioner may be selected as Anganbāri Sevika after setting aside the amended clause as well as selection

of Respondent No.6 as petitioner is only suitable candidate for the same.

19. That petitioner will suffer an irreparable injury and mental agony if she has not been selected for the post of Anganbari Sevika for the Centre in question.
20. That the petitioner has no alternative and efficacious remedy than to move before this Hon'ble Court.
21. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the present relief.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue notice to the Respondents and after hearing both the parties Your Lordship would be pleased to allow this application and direct the respondents to select the petitioner as Anganbari Sevika after quashing the selection of Respondent No.6 after

declaring the amended clause as
ultravirus without further delay by issuing
appropriate writ/writs.

And/or

To pass such other order or orders as Your
Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Sunaina Kumari, aged about ²⁷-----years w/o Shambhu Prasad Sah, resident of village- Haripur, Tinkonma, P.O. Haripur Kala, Police Station- Murliganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I fully understood and the statement made in paragraph Nos. 1 and 13----- are true to my knowledge and those made in paragraph Nos. 2 to 12----- 14 to 21 are based upon information derived from the records which I believe to be true and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photo copies of their originals respectively.

सुनयना कुमारी

आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका

[1

आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका

बिहार सरकार, समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार,
(समाज कल्याण विभाग), संचिका संख्या-ICDS/30020/01/2011/2897/
दिनांक-10.06.2013.

विषय-सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2011 में संशोधन/नए प्रावधान।
सरकार द्वारा सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक-04.11.2011
से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में
निम्नांकित संशोधन/नए प्रावधान किए जाते हैं:-

कॉडिका/ उप कॉडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4/4.8	जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होंगी। (रिश्तेदार से अर्थ है-पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहु)।	संबंधित जिले के जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होगी। [रिश्तेदार से अर्थ है-माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी और बहु]। जन प्रतिनिधि की पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखंड में सेविका/सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।
4/4.8 (I)	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कॉडिका 4 की उप कॉडिका 4.8 में जन प्रतिनिधि स्वयं अथवा उनके संबंधी आंगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन देते हैं तो जन प्रतिनिधि के पद से उनका त्याग पत्र कब मान्य होगा, का वर्णन नहीं है।	अभ्यर्थी के संबंधी अथवा स्वयं अभ्यर्थी का जन प्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गये अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना मान्य होगा। इसके पश्चात ही चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि 15 दिनों के बाद भी स्वीकृत त्याग पत्र प्राप्त नहीं होता है तो मेधा सूची पैन्ल से दूसरे नम्बर के अभ्यर्थी का चयन किया

2]

आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविक्का/सहायिका चयन मार्गदर्शिका

		जाए।
4/4.9	संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी, बहु, रिश्तेदार का चयन सेविक्का पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है—पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)	संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी के रिश्तेदार का चयन सेविक्का पद पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है—माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन]। सेविक्का अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू० 6000/- (छः हजार रुपये) या उससे कम है, उनके ऊपर यह कडिका लागू नहीं होती है।
4/4.10	विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की पत्नी/बहु/रिश्तेदार इस पद के लिये आयोग्य होंगे। (रिश्तेदार से अर्थ है—पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)।	संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों की विक्रेताओं (जैसे—जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की माँ, पत्नी, बहु, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। [रिश्तेदार से अर्थ है—माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन]।
4/4.12 (v)	सेविक्का/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कडिका 4 की उप कडिका 4.12 (v) के अनुसार—“ऐसी महिलाएँ जो पहले से किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत है वे सेविक्का/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी।	सेविक्का/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कडिका 4 की उप कडिका 4.12 (v) के अनुसार आशा कार्यकर्ता सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है अतः आशा कार्यकर्ता का चयन सेविक्का/सहायिका पद पर किया जायेगा। चयन होने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ पत्र में त्याग पत्र उपलब्ध करायेगी।
4/4.12 (vi)	नया प्रावधान	आंगनबाड़ी सेविक्का/सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्ता है। ये

10/10.10	नया प्रावधान	सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं है। अतः इनके रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जायेगा। विभिन्न प्रकार के जाँचों के फलस्वरूप सेविका/सहायिकाओं पर केन्द्र संचालन में अनियमितता इत्यादि बरतने के आरोप में किए गये आदेशों/अपील आदेशों की समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार स्वयं अथवा अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा कर सकेगा तथा इन आदेशों को संशोधित भी कर सकेगा।
11/11.1	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 11 की उप-कंडिका 11.1 के अनुसार संबंधित सेविका/सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय लिया जायेगा यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।	संबंधित सेविका/सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर इसे स्वीकृत/अस्वीकृत माना जाये। यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वीकृत माना जायेगा।

उपरोक्त संशोधन/नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(3)

(17)

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में
01 से लेकर 38 तक कुल (38) अक्षीय
पन्ने हैं।

सचिव, लख

ग्राम विकास परिषद
प्रकाशिकारी, मुख्यालय
(मधुपुर)

सेविका विम्व सहायिका चयन हेतु आम सूत्रा
की कार्यवाही पंजी-

स्वीकृत अतिरिक्त सौजनवादी कैम्प -
ग्राम पंचायत - हरिहर कला,
वार्ड नं० - 11
परवेड - मुख्यालय (मधुपुर)

उत्तर कला प्रयोग में सेवा समिति और नरेश
के हैं। उद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रेरित/प्रभावित
प्रति है। ही माली गीता देवी (वर्त सहाय)
की अध्यक्षता में उद्योगिक आंदोलक के
क्षेत्र के अंगीकार के साथ किया।

गीता देवी
वर्त सहाय
(अध्यक्ष)

युवक समिति के सदस्यों का शिवालय


- 1) वर्त सहाय :- गीता देवी
- 2) वर्त सहाय :- सुजु 6 कर्मा को
- 3) काम विभाग कार्य प्रदायिका :- ~~21611~~
- 4) सेवा समिति शिक्षक (ऑबजर्वर) :- ~~सर्वमान्यता प्राप्त~~
वर्त सहाय
- 5) शक माली मन्त्री सहाय :- ललिता मुद्दे
- 6) शक माली पास मन्त्री गीता :-
मन्त्री सहाय :-
- 7) शक विभाग प्रदायिका के
का शक माली आंदोलक :- ~~वर्त सहाय~~
उद्योगिक आंदोलक का शिवालय
- 1) सुमित्रा कुमारी :- सुमित्रा कुमारी
- 2) गीता कुमारी (मि) गीता मुद्दे
- 3) रूप कुमारी :- पूर कुमारी
- 4) रंजन कुमारी :-


उपस्थित स्वयंसेवकों का इनाम

① गीता वरुणी — गीता वरुणी

उपस्थित स्त्रीयों का इनाम


① राजकुमार — राजकुमार


② अशोक झाँसड़ा —  अशोक झाँसड़ा


③ उरमीला देवी —  उरमीला देवी

④ शोभा देवी — शोभा देवी

⑤ फूल कुमारी — फूल कुमारी


⑥ मरीयम डड्डू —  मरीयम डड्डू

⑦ पुष्पा झाँसड़ा —  पुष्पा झाँसड़ा

⑧ तालामोय देवी —  तालामोय देवी

⑨ सुरज मुनी डेब्रम — सुरज मुनी डेब्रम

10 सोनी डेब्रम — सोनी डेब्रम

11 मझकी मुझी —  मझकी मुझी


20

Page No. _____
 Date _____

अंक-4

- | | | | |
|----|------------------|---|------------------|
| 12 | पमीया देवी | — | पमीया देवी |
| 13 | गीता कारकी | — | गीता कारकी |
| 14 | सरीता डड्ड | — | सरीता डड्ड |
| 15 | ताला देवी | — | ताला देवी |
| 16 | सुनीता कमरडी | — | सुनीता |
| 17 | सुनीता किरकू | — | सुनीता किरकू |
| 18 | सुनीता हेमत्राम | — | सुनीता किरकू |
| 19 | सनीता डड्ड | — | सविता डड्ड |
| 20 | मखीला डड्ड | — | मरसीला डड्ड |
| 21 | केड्डक देवी | — | केड्डपा देवी |
| 22 | इन्दु देवी | — | इन्दु देवी |
| 23 | मनीषा लाल | | मनीषा लाल |
| 24 | श्रीधर लाल | | श्रीधर लाल |
| 25 | होमथल मुर्मू | | होमथल मुर्मू |
| 26 | मोहन मरडी साहू | | मोहन साहू |
| 27 | पंकज साहू | | पंकज साहू |
| 28 | सुन्दर राम | | सुन्दर राम |
| 29 | मनीषा हेमत्राम | | मनीषा हेमत्राम |
| 30 | संजय वादव | | संजय माधव |
| 31 | नरेश्वर हेमत्राम | | नरेश्वर हेमत्राम |
| 32 | अरुण हेमत्राम | | अरुण हेमत्राम |

33 पृथ्वी चंद्र झांसरी



34 पवन कुमार

पवन कुमार

35 नवल कुमार

नवल कुमार

36 ललित कुमार

ललित कुमार

37 सुमेश्वर झाड़

सुमेश्वर झाड़

38 कल्पना कुमार

कल्पना कुमार

39 निरंजन कुमार

निरंजन कुमार

40 सुजीत कुमार

सुजीत कुमार

41 जय कुमार

जय कुमार

42 हरिहर झाड़

हरिहर झाड़


43 रामदेव यादव

रामदेव यादव

44 विरमोहन मरठी

विरमोहन मरठी

45 राजी झाड़



46 सुनयना कुमारी

सुनयना कुमारी


47 सुलेखा देवी

सुलेखा देवी

48 गीता मुर्मू

गीता मुर्मू

49 भावित्री मुर्मू




50 राजेंद्र मरठी

राजेंद्र मरठी

51 अमर जीत

अमर जीत

52 नरु झाड़



(63)	कुंवर देवी — का प्रभार	61 कुंवर देवी का प्रभार
(54)	सुबेनवर देवी	सुबेनवर देवी
53	चन्द्रकिशोर सोरेन	चन्द्रकिशोर सोरेन
54	फूल कुमारी देवी	फूल कुमारी देवी
55	संजु हाँसदा	संजु हाँसदा
56	ममता सोरेन	ममता सोरेन
57	गीता देवी	गीता देवी
58	श्यामा देवी	श्यामा देवी
59	बेचनी देवी	बेचनी देवी
60	बुधनी देवी	बुधनी देवी
61	चंदा देवी	चंदा देवी
62	मीना देवी	मीना देवी
63	फूल कुमारी मरठी	फूल कुमारी मरठी
64	सुनिता सोरेन	सुनिता सोरेन
65	संजय डू	संजय डू

समाप्त
 जहाँ उल्लेख है उचित स्थान की
 समाप्त सफलतापूर्वक है उक्त समाप्त की जाती है।
 श्री
 श्री

23

Page No. _____
Date _____

- 66 शोभा परोशी शोभा मरुडी
- 67 ललित लाल
- 68 शशिधर चौधरी
- 69 इंजीनियरिंग
- 70 गोविन्द ठाकुर
- 71 मलिन मुद्द
- 72 विनायक कुमल सिंह
- 73 शंभु शर्मा
- 74 शशिगता इंद
- 75 जीवू मुर्मू
- 76 लीला चौधरी
- 77 देवकान्त ठाकुर
- 78 शशिधर शर्मा
- 79 सुरेश शर्मा
- 80 सुशांत कुमारी
- 81 सत्यनंद मुद्द
- 82 दिवाकर देवम
- 83 ललित लाल इंद
- 84 धीरेन्द्र शर्मा
- 85 लीला चौधरी
- 86 बेचनी ठाकुर
- 87 प्रमोद वसुंधरी

ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-01 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା ପ୍ରତି ୨୦୧୩

ରୁ ଅନୁଗ୍ରହ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଯାଏ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି,

ସର୍ବ. କ୍ର. ସଂ. ନଂ ୨୦୧୫ ୮୮୯୯ ସଂଖ୍ୟା ୨.୧.୧୨, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦୮ ୨୦୧୨, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୨-୧୩

ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୮ ୨୦୧୨ ଓ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୯ ୨୦୧୨

ପ୍ରକାଶ କର-02 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-03 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-04 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-05 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-06 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-07 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-08 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-09 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-10 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-11 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-12 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-13 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ପ୍ରକାଶ କର-14 :- ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದವರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಾಮ	ಜನ್ಮ ದಿನ	ವಿಧಾನ	ವಿಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ
01.	ಬಸವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್	08-11	ಬಿ.ಎ.ಎ.	06-10-1985	ಬಿ.ಎ.ಎ.	06	ಬಿ.ಎ.ಎ.	06	ಬಿ.ಎ.ಎ.
02.	ಬಿ.ಎ.ಎ.	08-11	ಬಿ.ಎ.ಎ.	28-01-1995	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.
03.	ಬಿ.ಎ.ಎ.	08-10	ಬಿ.ಎ.ಎ.	12-12-1993	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.
04.	ಬಿ.ಎ.ಎ.	05-04	ಬಿ.ಎ.ಎ.	10-02-1988	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದವರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಾಮ	ಜನ್ಮ ದಿನ	ವಿಧಾನ	ವಿಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ
01.	ಬಿ.ಎ.ಎ.	08-11	ಬಿ.ಎ.ಎ.	01-01-1982	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.	07	ಬಿ.ಎ.ಎ.

ಬಿ.ಎ.ಎ. 06-10-1985 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ
 ಬಿ.ಎ.ಎ. 08-11-1995 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ
 ಬಿ.ಎ.ಎ. 12-12-1993 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ
 ಬಿ.ಎ.ಎ. 10-02-1988 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ
 ಬಿ.ಎ.ಎ. 01-01-1982 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ

ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପାଦକର କୁ ଥିବା ପ୍ରତିପତ୍ର/2013
(01.01.2013) କୁ ପ୍ରକାଶ 18 ଚଳୁ ଚଳୁ ସମ୍ପାଦକ
40 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-08:- ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରତିପତ୍ର
ପ୍ରତିପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କର 15/01/2013
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-09:- ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରତିପତ୍ର
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 18/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-10:- ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 15/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-11: ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 15/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରତିପତ୍ର 2011 କୁ ପ୍ରକାଶ କର
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 15/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-12:- ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରତିପତ୍ର
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 15/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-13:- ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରତିପତ୍ର
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 15/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

ପ୍ରକାଶ କର-14:- ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରତିପତ୍ର
ପ୍ରକାଶ କର ଚଳୁ ଚଳୁ 15/01/18 ଚଳୁ ଚଳୁ
କିମ୍ପା 17 ଚଳୁ 11/12/2012 (ପ୍ରକାଶ) 13 ଚଳୁ ଚଳୁ
ମା 18 ଚଳୁ ଚଳୁ 11/12/18 ଚଳୁ ଚଳୁ ଚଳୁ

Annexure-1/B

27

बाल विकास परियोजना कार्यालय मुहरगींज

जिला मधुपुरा

जाप सं० 142

दिनांक 03.07.2014

चयन पत्र

श्रीमती फूल कुमारी पति चन्दन ठाकुर जी
ग्राम हरिपुरकला तीवकीनमा पो हरिपुरकला की स्थायी निवासी हैं,
का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला हरिपुरकला तीवकीनमा, नई-पै०
आंगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) हरिपुरकला, नई नं०-11 (अभिरिक्त) के
सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 26.06.2014 को आयोजित लाभुको की सभा में लिये गये निर्णय तथा
परियोजना पदाधिकारी मुहरगींज (मधुपुरा) के प्रातिवेदन के आलोक में
चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निर्देशावली द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का सतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

फूल कुमारी

3/7/14

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

मन्दीरा कुमारी

समाहरणालय, मधपुरा
(जन शिकायत कोषांग)

पावती रशीद

क्रमांक **6868** दिनांक **26/6/17**

1. जन शिकायत क्रमांक **2769**

2. आवेदक का नाम एवं पता **सुनयना कुमारी**
ना. हटपुर सी. बी. म. म. मुल्कीगंज
मधपुरा

DDO TCD

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

738-2
3.7.17

आवेदन संख्या 740

विषय - आँगाठवाड़ी (कौकिली) - काम में बाध
जाने का कारण मधेपुरा

विषय - आँगाठवाड़ी (कौकिली) - काम में बाध होने के कारणों से।

प्रस्ताव, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सुनैना कुमारी पति - श्री अंगु प्रसाद, ग्राम - हरिपुर निसकोला वाई-१॥ थाना - मुरलीगंज, जिला - मधेपुरा का एकाकी निवासी हूँ। यह कि दिनांक - २५-०६-१५ को नकथित आँगाठवाड़ी के घर वाई-१०-११ में शिकका-कमन के बाई सदाय के अध्यापक से आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं भी बाहुला एवं अंक बिडीय की मुझे प्रथम प्राथमिकता थी, लेकिन आम लोगों द्वारा आपत्ति दी गयी कि इनका मैसूर रिस्क है, मैसूर रिस्क सही में रिस्क है, लेकिन हास. सुख के जोखिम में ही हमी भाई - जय. अचम सत्यकि लेकर आसना हो गये थे। जलालि मेरी हास-सुख का मुझ परामर्श १५ से २० साल पूर्व ही हो गया है। इन्हीं कारणों से काम अंक वाले अध्यापक का-कामन कर लिया सिगा गया है। जबकि आँगाठवाड़ी रिस्क का है, हास ही १५-२ किमी मीटर की दूरी पर इनका का है। इन्का ही नहीं मेरा मैसूर रिस्क माकैट में जमीन लेका कर. मकान बनाकर रह रहे हैं। मैसूर से कोई रिस्क नहीं है।

अतः श्री मान के प्रार्थना है कि उक्त विन्दु को ध्यानपूर्वक करते हुए पुनः नियोजन करने की कृपा की जाय। ताकि मेरे कार्य सहित आर्थिकता किधी तरह जीवन-आपन कर सकूँ।

अंक बिडीय एवं बाहुला बिडीय एवं इनका मैसूर १५ साल से अपर अलगमें रहने की इच्छा प्राथमिकता दी जासकती है।

अध्यक्ष
हरिपुरकला पेक्स
मुरलीगंज, मधेपुरा

विश्वास भोजन
सुनैना कुमारी
पति - श्री अंगु प्रसाद
ग्राम - हरिपुर निसकोला वाई-१॥
थाना - मुरलीगंज
जिला - मधेपुरा



30

30

ग्रामिणी अथ दलकक्षा

सिकन्दर कुमार

खेपड़ा कुमाय राम

मोहन साह

म. म. क. क. क. क. क. क.

विलियम कुमाय राम

देव ना. 1 म

सुन्दर राम

सैयम नाथ

कामे 242 211

हरिहर साह

देवनाथ साह

सुखदेव साह

सुखदेव साह

गोपाल साह

म. म. क. क. क. क. क.

आरती देवी

शोभा देवी

कल्पना देवी

सुशरु कुमाय

खुशी देवी

विरंजन साह

म. म. क. क. क. क. क.

अमरजीत साह

बीजेद पासवान

जोगेन्द्र पादव

सेवाएं → श्री मान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय
 मधेपुरा ।

31

विषय → आंगन वाड़ी केन्द्र में सेविका की नियुक्ति
 और अनियमित एवं ग़रबी के सम्बन्ध में ।

महोदय !

सेवा में नियुक्त पूर्वक सूचित
 करना है कि पंचायत हरिपुर कला वार्ड नं० ११ में नवस्थापित
 आंगन वाड़ी केन्द्र के सेविका की चयन प्रक्रिया में
 स्कार्पर नियमकानून के विरुद्ध चयन किया गया है।
 मेधासूची के अनुसार १ नं० के सुनयना कुमारी - पति - शंभु
 साह की अंकीर है। मेरी घर ११ नं० वार्ड में है मेरी
 सैधानिक योगता - मैट्रिक I ई-३ I ६७.८५ है।

दिनांक २५/६/०५ की नवस्थापित आंगन वाड़ी केन्द्र पर सेविका की
 चयन हेतु आम सूत्र का आयोजन किया गया था।

पुनः कुमारी - पति - चंदन बाबुस वार्ड नं० १० जिलाका सैधानिक
 योगता ५६-८ है।

आम सूत्र का उठा-उठाई बिना पुरवाये परिवारी के पत्र के
 आधारों को बोलकर - पदाधिकारी - लगता है कुछ मोटी
 प्रथम लेबर मानसानी दंग से चलावा करने हेतु आम सूत्र
 किया गया।

परिवारी की वार्ड-१० ११ में नोले धर है न जमान है। फिर भी
 कुम्भी दवा लरके नियुक्ति किया गया।

नितागवाली के आलोक में है पद-स्थापित स्कार्पर सेविकाओं
 की पत्नी/ रिश्तेदारी का चयन सेविका पद पर नहीं होगा।

अभिलेखिका सेक्टर कम से कम ३० वर्ष से जलगा आगा
 जीवन आयन चौरा में कर रहा है। जो कंडीका ५-६ के आलोक
 में अभिलेखिका सुनयना - कुमारी - पति शंभु प्रसाद साह - पालन करने
 हुये - पत्नी, बहू, रिश्तेदार वंचित है।

चयन सूत्रों के आँखों में धूल कोकरे का कार्य पदाधिकारी
 को न किया है।

कंडीका ५-६ के अनुसूचित चयनित सेविका पोषक क्षेत्र का स्कार्पर
 निवासी नहीं है वह वार्ड पोषक क्षेत्र ११ के वदले १० वार्ड की है।
 जो मेधासूची प्रपत्र में अंकीर है। चयन अभिलेखिका वार्ड
 पत्नी से वाहर की है।

कंडीका ५-६ के अनुसार चयन अभिलेखिका की प्रथम मेधासूची में
 ३ बिग पर अंकीर है।

वार्ड नवस्थापित
 एकाधर वार्ड १० ११
 गीता
 इली

32

सेपिंग प्रपत्र में फुल कुमारी - पति - चंदन ठाकुर का नाम
 नहीं है।
 पुरवंड विभागा पचाधकारी नामों कि प्रयोग में फुलकुम
 पति - चंदन ठाकुर का नाम आती गई है।

अतः एकी माग में प्रार्थना है
 की उक्त वि-सू को हटाकर कट करके हरे पुनः
 मिश्रण करने की कृपा की जाय ताकी गरीब-महो
 किसी तरह जीवन आयाग कर सकें

आप का विश्वास भाजन

नाम सुनयना कुमारी
 गाँव - हरिपुर सिंघाना
 जिला हरिपुर जिला
 पता मुल्ता गंज
 जिला रायपुर (C)
 पिन कोड - 492122
 सियल

गौरी गें

श्रीमान् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधुपुरा
 विषय:- पंचायत हरिपुर कला के वार्ड नं 11 में
 आँगनवाड़ी-सेविका बहाली-में जोरधारिता
 मिना एवं बाबली के संबंध में-
 महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सुनराजा

कुमारी-पति श्रीमं प्रो. साह राम हरिपुर गीन कौमारा
 वार्ड नं 11 थाना मुरली गंज- जिला मधुपुरा का
 वार्ड निवासी हूँ। यह कि दिनांक-26-06-2014 को
 नव पुत्रिन आँगनवाड़ी-केंद्र पर वार्ड नं 11 में सेविका
 चयन के लिए वार्ड सदस्य के अध्यक्ष द्वारा मेरे नाम
 समा का आयोजन किया गया था- जिसमें वर्ग
 बाहुल्य एवं अंक विरोध की मुझे प्रथम प्राथमिता
 थी लेकिन आम लोगों द्वारा आपत्ति दी गई कि
 इसका जोर शिक्षक है मेरी भैंसुर रही-में शिक्षक है
 लेकिन सास-ससुर के जीवन में ही सभी आई चली
 अचानक सम्पत्ति लेकर अलग हो गई थी। जब कि मेरे
 सास-ससुर का मृत्यु लगभग 15 से 20 साल पूर्व ही हो
 गया है।

महाशय आदि का
 का भैंसुर करीबन
 15 से 20 वर्षों से व्या
 मकान बनाकर
 बसवा रहता है।
 वार्ड सदस्य का
 अध्यक्ष
 वार्ड सं-11
 गीता देवी

अज्ञान व्यक्ति
 मैं
 वार्ड सं-11


इसी लिए कम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन कालिगारा
 गया है जब कि अभ्यर्थी दूसरी वार्ड का निवासी है साथ
 ही 1 1/2-2 किलोमीटर की दुरी पर उसका घर पड़ा है।
 मेरी भैंसुर पूर्व से ही चौसा प्रखण्ड मार्केट में जमीन लेकर
 व्या मकान बनाकर रह रहे हैं। भैंसुर अपना पत्नी कपड़े
 सब का काम कर भरण पोषण कर रहे हैं। मुझे भैंसुर से किमा
 लेना देना है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त बिन्दु को ध्यान
 केंद्र करते हुए पुनः भिन्नोक्त कवाले कि कृपा कि जाया जाये
 गरीब-महिला-श्रीमती तरह जीवन-चापन लाल लकू।
 प्रतिलिपि:-

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ① प्रमंडलीय आयुक्त | विश्वास राजिका |
| ② बाल विकास प्रोग्राम पदाधिकारी | सुनयना कुमारी |
| ③ माननीय प्रेमी-समाज कल्याण विभाग | शारदा हरिपुर मिश्र |
| ④ जिला पदाधिकारी मधुपुरा | थाना मुरली गंज |
| | जिला मधुपुरा |
| | वार्ड संख्या 11 |

1st

34




लाल राशन कार्ड

3668725

जिला कोड एवं नाम- 4-रतलपुर क्रम संख्या :
 बी.पी.एल. क्रमांक 1250/390
 कार्डधारी का पूरा नाम शंभू साह
 पिता/पति का नाम शुभम साह
 पेशा हजरत
 आवासीय पता 12 न कोरगा- 11
 मुहल्ला _____ वार्ड नं. _____ सर्किल नं. _____
 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम दीन केशरी चौक
 सर्किल नं. _____ वार्ड नं. 12
 राशन कार्ड निर्गत की तिथि _____

प्राथमिक आर्थिक सहायता अधिकारी पदा. प्रखंड विकास पदा.
 प्रा. आ. पदा. (मुख्य अधिकारी) (मुख्य अधिकारी)
 मुख्यालय (मुख्यालय) (मुख्यालय)

अभ्युक्ति	
2008	Shimshu H P Gas Agency C/O 1250 Aginder to Conrail (दि. 20/11)
2009	0114534 <i>20-6-12</i>
2010	<i>0114534</i>
2011	0114534 / 0114534 अभिलेख 126 11
2012	0114534



घोषणा-पत्र

मैं सुभाष साह पिता स्व० सुदामा साह
 वर्तमान पता ग्रा० - पोसा, थाना - पोसा
 जिला - मधेपुरा, घोषणा करता हूँ कि मैं
 अपने पाँचो भाइयो मे से दूसरे नम्बर के हूँ
 मैं सत्री भाई - बल और अचल सम्पत्तियों से
 करीबन 25-30 वर्षों से विभाजित हूँ। पिता
 के जीवित काल मे 5 वर्ष पूर्व ही पाँचो भाइका
 बख्ताइ हो चुका था जबकि पिता के मृत्युका
 लगभग 25-30 वर्ष हो गया है। इसलिए लगभग
 30 वर्षों से सुभाना कुमारी पति शंभु प्र० साह से
 मेरा कोई रिस्ते दारी नहीं है।

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर
 सुभाष साह

ग्राम - पोसा
 थाना - पोसा
 जिला - मधेपुरा
 पिन कोड न० 852213

अंचल कार्यालय, मुरलीगंज

36

वंशवृक्ष-प्रमाण-पत्र

अंक संख्या दिनांक

.....के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति

.....के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति

.....के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति

.....के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति

.....के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति के मुखिया श्री/श्रीमति

वंशवृक्ष

.....

.....

.....

.....

.....

.....

अंचल निरीक्षक
मुरलीगंज

अंचल अधिकारी
मुरलीगंज

सेवा में

श्री मान प्रबंड विभागा पदाधिकारी मुरलीगंज

शेड' बाल विभागा पदाधिकारी मुरलीगंज

विषय:

आगत बाली सेवा में नौजवादी शिष्ट

समस्या

महाराष्ट्र

निवेदन है कि मैं सुनीता

अमरी पति शंभू प्र० लो० राम धोरेण रिक्कीना
आता - मुरलीगंज, जिला - मधेपुरा का स्नाई निवासी हूँ,
आज दिनांक 28.6.2014 को नवसूचना आगवारी

महाराष्ट्र आवेष्टिका
का मेसूर तकरीबन
20-25 वर्षों से
घर-मकान बनाकर
अलग रह रहा है।

मैंने पर सेवा में नौजवादी
का नौजवादी विषय प्राप्त कर
विशेष एवं कंच विधेय पर मैं 1 नम्वर में बाली
की जिदमें काम जतल हुआ आपसे जराई का
मेरा मेसूर सरकारी नौकरी करता हूँ यह बात
सत्य है लेकिन 20 वर्षों से वह महानवसूचना

वाडे सुदर्य का हस्ताक्षर
गीतादेवी
वाडे सं०-11

अलग रहता है इसकी सजीबना स्नाई मुरीपना,
बाइपटल्य एवं पंच द्वारा के सफरी हूँ।

अतः श्री मान से निवेदन है कि

यदि निमोजन करने की क्षमता की जाय
होती तब के लिए नौजवादी का सुनीता

आप का विचारशी सुनीता कुमारी

अमः धरेण रिक्कीना वा - 11
आताः मुरलीगंज
जिला - मधेपुरा

अर्जुन वास्की पंच